(64)

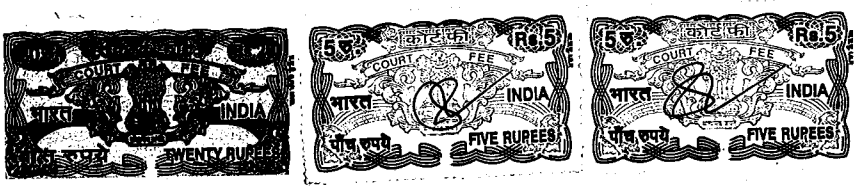

COURT FEE INDIA TWENTY RUPEES

5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–शिवपुरी निग/2733/III/15

पवन कुमार पुत्र श्री संग्रामसिंह यादव, निवासी ग्राम बारौद, तहसील बदरवास, जिला – शिवपुरी (म.प्र.)

— आवेदक

विरूद्ध

1. कृपाणसिंह पुत्र श्री सनमानसिंह यादव, निवासी ग्राम बिजरौनी, तहसील बदरवास, जिला – शिवपुरी (म.प्र.)
2. चन्द्रपालसिंह पुत्र श्री रघुवीरसिंह यादव, निवासी ग्राम बारौद, तहसील बदरवास, जिला – शिवपुरी (म.प्र.)
3. सूरजभान पुत्र श्री मेहरबानसिंह,
4. शीलकुमार पुत्र श्री सूरजभानसिंह यादव
5. समन्दरसिंह पुत्र जगन्नाथसिंह यादव, निवासी ग्राम बिजरौनी, तहसील बदरवास, जिला – शिवपुरी (म.प्र.)

— अनावेदकगण

22.8.15

22/8/15

न्यायालय तहसीलदार बदरवास द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/13–14/अ–12 में पारित आदेश दिनांक 16.07.2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, भूमि आराजी कमांक 595 रकवा 1.000 हैक्टेयर में स्थित भूमि ग्राम बिजरौनी, तहसील बदरवास, जिला शिवपुरी के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा इस आधार पर प्रस्तुत किया कि उपरोक्त भूमि का पूर्व में सीमांकन आदेश हुआ था। जिसके पश्चात पुनरीक्षण राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, और राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण कमांक 654/अ–3/2014 में आदेश दिनांक 30.01.2015 को यह आदेश दिया गया कि तहसीलदार बदरवास के पूर्व आदेश दिनांक 07.01.2013 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार बदरवास को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह सरहदी कास्तकारों को सूचना देने के उपरान्त उनकी उपस्थिति में सीमांकन की कार्यवाही नियमानुसार करें।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निग0 2733–तीन/2015 जिला शिवपुरी

पवन कुमार विरूद्ध कृपाणसिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24–9–2015	आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत तहसीलदार बदरवास के प्रकरण कमांक 1/13–14/अ–12 में पारित आदेश दिनांक 16–7–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण कमांक 654/तीन/2014 में पारित आदेश दिनांक 30–1–2015 द्वारा तहसीलदार को यह निर्देश दिये गये थे कि सरहदी कास्तकारों की उपस्थिति हेतु सूचनापत्र जारी कर तथा उभय पक्ष के समक्ष सीमांकन की कार्यवाही की जाये, जिसके कम में तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक को संबंधित पक्षकारों एवं मेडिया कृषकों को सूचना पत्र जारी किया गया। सूचना पत्र आवेदक द्वारा लेने से इंकार करने पर दीवाल पर चस्पा किया गया। अतः यह नहीं मना जा सकता कि आवेदक को सीमांकन की सूचना नहीं थी। तत्पश्चात तहसीलदार ने आदेश दिनांक 16–7–2015 के द्वारा सीमांकन की पुष्टि की। निगरानी के साथ संलग्न सत्यापित दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक तहसीलदार द्वारा सीमांकन की कार्यवाही	

पुनः प्रारम्भ करने पर सीमांकन की कार्यवाही में उपस्थित न होकर सीमांकन की कार्यवाही को संपादित नहीं होने देना चाहते हैं और पूर्व में निगरानी के पश्चात पुनः निगरानी में सीमांकन को चुनौती दे रहे हैं। प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन, स्थल पंचनामा, सूचना पत्र एवं फील्ड बुक की सत्यापित प्रति के आधार पर तहसीलदार द्वारा किये गये सीमांकन में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

सदस्य